राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः एफ.37( )पराविं/प्र.2/क.लि.सीधी भर्ती–2013/2017/1549 जयपुर, दिनांकः
21-5-17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद– समस्त।

विषयः कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती – 2013 में विभिन्न योजनाओं में कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को बोनस लाभ देयता के संबंध में स्पष्टीकरण।

विषयान्तर्गत लेख है कि कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती, 2013 की समस्त जिलों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियों में अनुग्रह अंकों बाबत यह स्थिति अति स्पष्ट कर दी गई थी कि "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार मनरेगा अथवा ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की किसी योजना में कार्यक्रम अधिकारी/सहायक कार्यक्रम अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, प्रोग्रामर, सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियन्ता, ग्राम रोजगार सहायक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, लेखा सहायक, कनिष्ठ लिपिक, समन्वयक आई.ई.सी., समन्वयक प्रशिक्षण, कोर्डिनेटर सुपरविजन तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर विथ मशीन (नियोजन अभिकरण के माध्यम से लगे हुओं के सिवाय) पद अथवा समन्वित जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम/राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम/डी.डी.पी./डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत जलग्रहण विकास दल के अभियान्त्रिकी, कृषि, पशुपालन या समाज विज्ञानी सदस्य अथवा निर्मल भारत अभियान (सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम) के अन्तर्गत जिला समन्वयक स्वच्छता/SWSHE, ब्लॉक कोर्डिनेटर/लेखाकार या कम्प्यूटर/एम.आई.एस. असिसटेंट के पद पर अनुग्रह अंक प्रदान किये जा सकेंगे।"

कुछ जिलों द्वारा योजनाओं विशेष के संबंध में कार्यरत कार्मिकों को अनुभव का लाभ देय है अथवा नहीं इस बाबत मार्गदर्शन मांगा जा रहा है, जिस बाबत स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की जाती है–

वर्ष 2013 में विज्ञप्ति के समय मिड–डे–मील योजना पंचायती राज विभाग द्वारा ही संचालित की जा रही थी, अतः आलोच्य अवधि (दिनांक 18.04.2013 तक) में कार्यरत रह चुके कार्मिकों को अनुग्रह अंकों का लाभ देय होगा। इसी प्रकार बी.आर.जी.एफ., टी.एफ.सी., करिश्मा प्रोजेक्ट इत्यादि पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में विज्ञप्ति में वर्णित पदों पर विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत रह चुके अभ्यर्थियों को अनुग्रह अंकों का लाभ देय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान योजना ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं में शामिल नहीं है। वस्तुतः सर्व शिक्षा अभियान, लोक जुम्बिश परियोजना, राजीव गांधी पाठशाला/शिक्षाकर्मी बोर्ड एवं मदरसा बोर्ड इत्यादि योजनाओं में कार्यरत रह चुके अभ्यर्थियों को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती, 2013 में बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। उक्त समस्त विभाग की योजनाएें नहीं है।

उक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

D:\ACJS_N\Letters A2.docx